I/56310/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Regional Office, Chandigarh**

मिसिल संख्या -: 9-HRB029/2023-CHA **दिनांक: October, 2023**

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ -160001 (fcforest@hry.nic.in)

विषयः- **Diversion of 0.0829 ha. of forest land for access to retail outlet of IOCL at Khasra No. 21/5, 12/25/3 on Charkhi Dadri-Loharu road (NH-334B) AT CH IN. Km. 191.932 (LHS), Village Barsana, Tehsil Dadri, District Charkhi Dadri, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/150672/2021)-regarding.**

संदर्भ:- (i) State Government letter E/FCA/1574 dated 18.09.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में राज्य सरकार, हरियाणा द्वारा दिनांक **19-07-2023 को सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, , जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक E/FCA/1574 दिनांक 18.09.2023 **(ऑनलाइन पोर्टल)** द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **0.0829** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी |

ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा| वृक्षों/पौधों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में की जाएगी और वृक्षों/पौधों की कटाई पर खर्च की गई राशि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य वन विभाग को जमा की जाएगी।

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार **Compartment No. H43W2, Atela Distry, RD 25-30 L/Side, Charkhi Dadri Range** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा |

iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए |

v. **राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी |**

vi. **DFO यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुमोदित CA site (sites) को नहीं बदला जाएगा ।**

vii. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कैम्पा के तहत निधियां अनुमोदित सीए योजना के अनुसार DFO को जारी की जाएंगी।**

viii. यह अनुमति 15 वर्षों के लिए वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी |

ix. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

x. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

xi. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंहुच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा |

xiii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xiv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xvi. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xvii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xviii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xix. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

xx. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है । **राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी |**

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

भवदीय
-sd-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)
RO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली । (ramesh.pandey@nic.in)
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Charkhi Dadri, Haryana. (dforewari2004@gmail.com)
6. INDIAN OIL CORPORATION LTD, HISAR DIVISIONAL OFFICE, SCO-40/41, SECTOR 13 P TOSHAM ROAD, HISAR, Haryana- 125005.(ioclhisardo@gmail.com)

Signed by Raja Ram Singh
Date: 26-10-2023 21:51:55
Reason: Approved